प्रपत्र–4
(देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3(क))
राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
संख्या– 2093 /71–2–2010–691 / 09
लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2010

सेवा में,

डा0 हसन एच0के0 वारसी मुफ्ती,
प्रबन्धक,
वारसी वेलफेयर एण्ड एजूकेशनल ऑर्ब,
ग्राम बिलालपत शरीफ, पो0 असमोली,
तह0 सम्भल, जिला–मुरादाबाद, उ0प्र0

विषय : यूनानी मेडिकल कालेज ''कालेज आफ इण्डियन मेडिकल साइंसेज, ग्राम बिलालपत शरीफ, जनपद मुरादाबाद'' को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0)।

संदर्भः प्रबन्धक, वारसी वेलफेयर एण्ड एजूकेशनल ऑर्ब का पत्र संख्या–यू0पी0जी0 / 2009 / 1 दिनांक 8.12.09

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' जारी किया जा रहा हैः–

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और यूनानी तिब्ब संस्थानों की संख्या–02 राजकीय यूनानी कालेज तथा निजी क्षेत्र में 08 यूनानी कालेज।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या–490 (स्नातक स्तर)
3. राज्य परिषद / भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड में पंजीकृत यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या–15077,
4. राज्य सरकार में सेवारत यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या–615
5. राज्य विशेष रूप ग्रामीण / कठिन क्षेत्रों में यूनानी तिब्ब चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या–120
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत यूनानी तिब्ब चिकित्सकों की संख्या–सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड यूनानी तिब्ब चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7. राज्य में यूनानी तिब्ब चिकित्सकों एवं–जनसंख्या का अनुपात–1 : 11073
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना / पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आयेगा–यूनानी महाविद्यालय की स्थापना / पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोंपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव शक्ति को सुदृढ़ करना है।

...2 / –

9. छात्र जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें–कोई नहीं।
10. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य–योग्य चिकित्सक तैयार करना।
11. प्राप्य यूनानी तिब्ब चिकित्सक जनसंख्या अनुपात–निर्धारित नहीं।

डा0 हसन एच0के0 वारसी मुफ्ती ने ग्राम बिलालपत शरीफ, जनपद मुरादाबाद में यूनानी महाविद्यालय ''कालेज आफ इण्डियन मेडिकल साइंसेज'' स्थापित करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात उ0प्र0 सरकार ने आवेदक को सी0सी0आई0एम0 के मानकानुसार अनुमन्य सीटों के साथ यूनानी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए/ बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है–

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास वर्तमान में 50 शैय्याओं वाला चिकित्सालय उपलब्ध है तथा कालेज से सम्बद्ध 50 शैय्याओं का एक अन्य चिकित्सालय, ''सम्भल सर्जिकल मैटरनिटी हास्पिटल है,'' संस्था को शीघ्र आवश्यक सुविधाओं एवं अवसंरचना सहित 100 शैय्याओं वाला चिकित्सालय पूर्ण करना होगा तथा संस्था को समयान्तर्गत सी0सी0आई0एम0 की सभी शर्ते तथा मानक पूर्ण करने होगें।

(ख) यूनानी महाविद्यालय की स्थापना/बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित की वांछनीय है।

(ग) वारसी वेलफेयर एण्ड एजूकेशनल ऑर्ब द्वारा ग्राम बिलालपत जनपद मुरादाबाद में यूनानी मेडिकल कालेज ''कालेज आफ इण्डियन मेडिकल साइंसेज'' की स्थापना/बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

संख्या– 2093 (1)/71–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2– सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कुल सचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
5– निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।